77/2011

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23-9-19	प्रश्नावली पेश हुई। प्रश्नगान वकील रूप है प्रश्नगान वकील की बहस पर गौर किया तो वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अवलोकन वाद में खाता 232 रकबा 0.32 है। खाता 233 रकबा 0.50 है। ग्राम अदयपालिया बाबा चौमया चाही गयी है अवलोकन खाता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 से विक्रय की गई है। अप्रार्थी/वादी ने आज दिनांक तक अंतरण विक्रय पत्र की पैरवी नहीं किया गया है इसलिये वादी का वाद अपेक्षाचार से बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादी का वाद खारिज खामामा आदेश। अभाव बहस में। वकील वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थी/प्रतिवादी की बहस का खंडन करते हुये कथन किया कि दावे में तनसंभाल विचारित की जाकर साक्ष्य वादी में वाद विचारणीय है और साक्ष्य संकुल की जाकर दावा गुण व गुण पर निर्णय किया जावे। इस स्तर पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। वकील प्रश्नगान की बहस पर गौर किया गया तो वाद गत भूमि का बैचान तथा दावरी से पूर्व दिनांक 16-12-10 को बैचान सहित स्थायी तारा चन्द ~~स्थायी~~ स्थायी करे, किया गया है। जबकि दावा दायर वादग्रस्त भूमि का बैचान होने के बाद दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

नाम न्यायालय

केस संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		6-1-11 को हुआ अन्तिम निस्तारण किये जाने योग्य जिन खसरा नम्बरों का बैचान हुआ है अन्य खसरा नम्बरों को बैचान योग्य स्वयं वादी लक्ष्मण ने अपनी गिराह में स्वीकार किया है। इस प्रकार सेलडीड निष्पादन-पत्र में हुआ बैचान किया गया है जो बिना सेलडीड निष्पादन-पत्र को पेशियाँ सरायें अन्य वाद पत्रावली दावा को सुनने का अधिकार नहीं है। सेलडीड निष्पादन-पत्र की पेशियाँ सामने हैं। अभी वहीं पर पेशियाँ की नहीं किया गया है। दावा सपरे 6-1-2011 को खारिज किया गया है। अबकी बैचान 16-12-2010 को खारिज किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में बिना सेलडीड निष्पादन-पत्र को सिवाय सरायें अन्य दावा की वाद सुनने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार होने से प्रार्थना दावा [illegible] किया जाता है। निस्तारित [illegible] की है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जाइसू (जयपुर)
23-9-19